रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225857
CG-DL-E-12032021-225857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942
No. 134]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली,12 मार्च 2021

सा.का.नि. 175(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285ख.क. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (चौथा संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) आय-कर नियम 1962 के नियम 114 ड में,-

(क) सारणी के उपनियम 2 में क्रम सं. 3, सुतंभ 3 मद (iv) में कोष्ठक, अंकों तथा शब्द "(1934 का 6)" के स्थान पर "(1934 का 2)" कोष्टक, अंकों तथा शब्द को रखा जाएगा।

(ख) अधिनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5क) आय विवरणी भरने से पूर्व के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम की धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन, एक वित्तिय संव्यवहार का विवरण , जिसमें नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या म्यूचल फंडस , लाभांश आय तथा ब्याज आय की इकाईयों के संव्यवहार पर लाभ से संबंधित जानकारी सम्मिलित हो, उक्त सारणी के

स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्ररूप, अंतरा और रूप में दी जाएगी जैसा की बोर्ड के अनुमोदन सहित यथास्थिति प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

तालिका

क्रं.सं.	संव्यवहार की प्रकृति	व्यक्ति का वर्ग { रिपोर्टिंग व्यक्ति }
(1)	(2)	(3)
1.	म्यूचल फंडस ईकाई या सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संव्यवहार पर अभिलाभ	(i) मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज (ii) निक्षेपागार अधिनियम 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में परिभाषित निक्षेपागार (iii) मान्यता प्राप्त समाशोधन निकाय; (iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 के 15) की धारा 12 की उपधारा के अंतर्गत पंजीकृत अंश जारी व हस्तांतरण अभिकर्ता व रजिस्ट्रार
2.	लाभांश आय	कंपनी
3.	ब्याज आय	(i) बैंकिग कंपनी अथवा सहकारी बैंक जिसमें बैंकिग विनिमय अधिनियम 2949 (1949 का 10) उक्त अधिनियम की धारा 51 में वर्णित किसी बैंक अथवा बैंकिग संस्थानों सहित लागू होता है। (ii) भारतीय डाक घर अधिनियम 1898(1898 का 6) की धारा 2 के खंड 1 में निर्दिष्ट मुख्य पोस्टमास्टर (iii) गैर-बैंकिग आर्थिक कंपनी जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 6) की धारा 45-1क के अधीन जनसाधारण से जमा राशि लेने या रखने, पंजीकरण प्रमाण पत्र रखती है।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से वह प्रतिभूतियां अभिप्रेत है जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

(ख) म्यूचल फंड से धारा 10 के खंड (23 घ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट म्यूचल फंड अभिप्रेत है।

(ग) मान्यताप्राप्त समाशोधन निकाय विनियम का अर्थ वही होगा जो कि प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 (1956 का 42) एवं भारतीय प्रतिभूति व विनियमबोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनिमय) स्टॉक विनियम व समाशोधन निकाय के विनियम के उपविनियम (1) के खंड (ण) में नियत किया गया है।

(घ) मान्यताप्राप्त स्टॉक विनिमय का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में नियत मान्यताप्राप्त स्टॉक विनिमय होगा।

(ङ) प्रतिभूति का अर्थ वही होगा जैसा कि प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में नियत किया गया है।

(ग) उपनियम (6) में,--

(i) खंड (क) में, "उपनियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ (3)" शब्द, कोष्ठक, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "उपनियम (5क) के अधीन सारणी का स्तंभ (3) और "शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ii) खंड (ख) में, "उपनियम (2) के अधीन सारणी के स्तंभ (3)" शब्द, कोष्ठक, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "उपनियम (5क) के अधीन सारणी का स्तंभ (3) और "शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(iii) स्पष्टीकरण (2) में, "उपनियम (2) की सारणी" शब्द, कोष्ठक, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "उपनियम (5क) की सारणी और "शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(iv) स्पष्टीकरण (3) में, "उपनियम (2) की सारणी" शब्द, कोष्ठक, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "उपनियम (5क) की सारणी और "शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(घ) उपनियम (7) में, "उपनियम 1 में निर्दिष्ट" शब्दों, अंकों, अक्षरों, के स्थान पर "उपनियम (5क) में निर्दिष्ट "शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगें।

[अधिसूचना सं.16/2021/फाईल सं. 370142/03/2021-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969 (अ) में 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि.170(अ), दिनांक 11th मार्च, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R 175(E).—In exercise of the powers conferred by section 285BA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Income-tax (4^{th} Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 114E,—

(A) in sub-rule (2), in the TABLE, in serial number 3, in column (3), in item (iv), for the brackets, figures and word "(6 of 1934)", the brackets, figures and word "(2 of 1934)" shall be substituted;

(B) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(5A) For the purposes of pre-filling the return of income, a statement of financial transaction under sub-section (1) of section 285BA of the Act containing information relating to capital gains on transfer of listed securities or units of Mutual Funds, dividend income, and interest income mentioned in column (2) of Table below shall be furnished by the persons mentioned in column (3) of the said Table in such form, at such frequency, and in such manner, as may be specified by the Principal Director General of Income Tax (Systems) or the Director General of Income Tax (Systems), as the case may be, with the approval of the Board, namely:—

TABLE

Sl. No.	Nature of transaction	Class of person (reporting person)
(1)	(2)	(3)
1.	*Capital gains on transfer of listed securities or units of Mutual Funds*	*(i) Recognised Stock Exchange;* *(ii) depository as defined in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);* *(iii) Recognised Clearing Corporation;* *(iv) Registrar to an issue and share transfer agent registered under sub-section (1) section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).*
2.	*Dividend income*	*A company*
3.	*Interest income*	*(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act);* *(ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).* *(iii) Non-banking financial company which holds a certificate of registration under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), to hold or accept deposit from public.*

Explanation. — For the purposes of this rule,—

(a) "listed securities" means the securities which are listed on any recognised stock exchange in India;

(b) "Mutual Fund" means a Mutual Fund as referred to in clause (23D) of section 10 of the Act;

(c) "recognised clearing corporation" shall have the same meaning as assigned to it in clause (o) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(d) “recognised stock exchange” shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(e) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);”

(C) in sub-rule (6),—

(i) in clause (a), after the words, brackets and figures “column (3) of the Table under sub-rule (2)”, the words, brackets, figures and letter “and column (3) of the Table under sub-rule (5A)” shall be inserted;

(ii) in clause (b), after the words, brackets and figures “column (3) of the Table under sub-rule (2)”, the words, brackets, figures and letter “and column (3) of the Table under sub-rule (5A)” shall be inserted;

(iii) in Explanation 2, after the words, brackets and figures “Table in sub-rule (2)”, the words, brackets, figures and letter “and in sub-rule (5A)” shall be inserted;

(iv) in Explanation 3, after the words, brackets and figures “Table in sub-rule (2)”, the words, brackets, figures and letter “and in sub-rule (5A)” shall be inserted;

(D) in sub-rule (7), after the words, brackets and figures “referred to in sub-rule (1)”, the words, brackets, figures and letter “and sub-rule (5A)” shall be inserted.

[Notification No. 16/2021] [F.No. 370142/03/2021-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR No. 170(E), dated the 11th March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.12 23:09:54 +05'30'